झारखण्ड सरकार
(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)
प्राचार्य का कार्यालय, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो
Email – gwp_bokaro@rediffmail.com, Ph. No. : 06542-253239, Mob. 9827158159

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संबंधी सूचना 01/2025–26

निदेशक (तकनीकी शिक्षा) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–DTESec2/01-02/2020/HTESD-405 दिनांक–15.04.2025 एवं विभागीय संकल्प सं0 1114 दिनांक–05.12.2023 के आलोक में इस संस्थान में Outsource के माध्यम से सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर नए एजेन्सी/फर्म का चयन किया जाना है। Outsource के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म जो बोकारो जिला में निबंधित हो एवं सभी अर्हत्ताओं को पूरी करते हों, से निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि निम्नलिखित है:–

1. कार्यालय से निविदा प्राप्त करने की तिथि–02.06.2025 से 10.06.2025 तक।
2. पूर्ण निविदा कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि–14.06.2025 तक।
3. प्राप्त निविदाओं को दिनांक–17.06.2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में समिति के सदस्यों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा, जिसमें निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा की सूची तथा नियम एवं शर्तें दिनांक–02.06.2025 से दिनांक–10.06.2025 तक कार्यालय अवधि 11:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. निर्धारित तिथि के उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो

PR 353964 Higher Education,Technical Education and Skill Development Department(25-26)#D

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

प्रकाशन:- धनबाद
दैनिक भास्कर - 01/06/2025

02/06/25

प्राचार्य
राजकीय महिला पोलिटेकनिक
बोकारो

02/06/25

Rajendra Institute of Medical Sciences, Ra

of Medical Sciences(25-26)#D

झारखण्ड सरकार

(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)

प्राचार्य का कार्यालय, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो

Email – gwp_bokaro@rediffmail.com, Ph. No. : 06542-253239, Mob. 9827158159

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संबंधी सूचना 01/2025–26

निदेशक (तकनीकी शिक्षा) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–DTESec2/01-02/2020/HTESD-405 दिनांक–15.04.2025 एवं विभागीय संकल्प सं0 1114 दिनांक–05.12.2023 के आलोक में इस संस्थान में Outsource के माध्यम से सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर नए एजेन्सी / फर्म का चयन किया जाना है। Outsource के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी / फर्म जो बोकारो जिला में निबंधित हो एवं सभी अहर्त्ताओं को पूरी करते हों, से निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि निम्नलिखित है:–

1. कार्यालय से निविदा प्राप्त करने की तिथि–02.06.2025 से 10.06.2025 तक।
2. पूर्ण निविदा कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि–14.06.2025 तक।
3. प्राप्त निविदाओं को दिनांक–17.06.2025 को 11:00 बजे पूर्वाहन में समिति के सदस्यों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा, जिसमें निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा की सूची तथा नियम एवं शर्तें दिनांक–02.06.2025 से दिनांक–10.06.2025 तक कार्यालय अवधि 11:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराहन तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. निर्धारित तिथि के उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो

PR 353964 Higher Education,Technical Education and Skill Development Department(25-26)#D

Government of Jharkhand

Urban Development and Housing Department

PHUSRO NAGAR PARISHAD (BOKARO)

प्रकाशन:- धनबाद

दैनिक जागरण – 01/06/2025

02/06/25

प्राचार्य
राजकीय महिला पोलिटेकनिक
बोकारो

02/06/25

GOVT. WOMEN'S POLYTECHNIC, BOKARO
Dept. of Higher & Technical Education (Govt. of Jharkhand)
Shyampur, Near Garga Dam, Bokaro Steel City – 827 010, Dist. Bokaro (JHARKHAND)
Mob. 9827158159 Email gwp_bokaro@rediffmail.com, principalgwpbokaro@gmail.com

सरकार के अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–710 दिनांक–29.07.2022 के द्वारा बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त करने हेतु स्वीकृत पदों की संख्या निम्न प्रकार से है:–

क0 सं0	बाह्यश्रोत कर्मी की विवरणी	कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	सफाई कर्मी	04	
2	स्वीपर	02	
3	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	04	
4	गार्डेनर	02	

निविदा की नियम एवं शर्त्तें :–

1. एजेन्सी/फर्म/संवेदक को तीन साल के लगातार सरकारी संस्थानों कार्यालयों एवं प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव हो। इस संबंध में उपलब्ध प्रमाण पत्र तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करेंगे।
2. सरकार के संबंधित विभाग/संस्था में निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करेंगे।
3. अद्यतन तीन वर्षों तक संस्था का आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करेंगे।
4. सरकार में सेवा संबंधित विभाग/संस्था में निबंधित संस्थाओं के द्वारा शुल्क या कटौति की अद्यतन तीन वर्षो की विवरणी की छायाप्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करेंगे।
5. विगत तीन वर्षो का संस्था को प्राप्त कार्यादेश की छायाप्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करेंगे।
6. जिन संवेदकों के द्वारा तकनीकी सेवा शर्त पूरी की जायेगी उन्हीं संवेदकों का वित्तीय सेवा शर्त के लिफाफे खोले जायेंगे एवं उनसे ही संवेदकों का तुल्नात्मक विवरणी बनाते हुए उन पर निर्णय लिया जायेगा।
7. संस्थान को झारखण्ड सरकार से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात ही संस्थान के द्वारा आपूर्ति किये गये कर्मियों का भुगतान एजेन्सी/फर्म/संवेदक को किया जायेगा। संस्था के द्वारा आपूरित कर्मियों को भुगतान एजेन्सी/फर्म/संवेदक की जिम्मेवारी होगी।
8. चयनित एजेन्सी/फर्म/संवेदक को अपने स्तर से उपरोक्त कर्मी को प्रतिनियुक्ति करने के पश्चात वर्दी/जूता/आईकार्ड/गलब्स/रेनकोट/छाता/टॉर्च First Aid Kit उपलब्ध कराना होगा।
9. संस्थान में एजेन्सी/फर्म/संवेदक के आपूरित कर्मियों का भुगतान Biometric Attendance के आधार पर उपस्थित कार्य दिवसों के आधार पर किया जायेगा।
10. Bank to Bank Transfer द्वारा कर्मियों को भुगतान एवं EPF/ESI/Bonus में कटौतियों से संबंधित विवरणी संस्था को प्रत्येक भुगतान के पश्चात् आगामी भुगतान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. बिना कारण बताये अगर आपूरित कर्मी एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहते हैं या संतोषजनक सेवा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो संस्थान को निविदा रद्द करने का अधिकार संस्थान को होगा।
12. यह निविदा 11 (ग्यारह) माह तक वैध रहेगी। आवश्यकता होने पर आपकी सेवा विस्तारित की जा सकती है।
13. बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी एवं गठित समिति को होगा।
14. एजेन्सी/फर्म/संवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक होगा कि उन्हें कभी Black List नहीं किया गया है।
15. एजेन्सी/फर्म/संवेदक का चयन होने के पश्चात् सुरक्षा राशि के रूप में 100000/– (एक लाख रू0) की बैंक गारण्टी जमा कार्यालय में जमा करना होगा।
16. एजेन्सी/फर्म/संवेदक संस्थान पर किसी प्रकार का कानूनी कारवाई नहीं करेंगे।
17. नियंत्री विभाग (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड राँची) के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रभारी
राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
बोकारो
28/05/25